भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि १४ अप्रैल, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

CHARGES AGAINST A DOCTOR AND STUDENT OF THE DARBHANGA MEDICAL COLLEGE.

*163. **Shri RAMRUP PRASAD ROY:** Will the Minister, incharge of the Medical Department be pleased to state whether it is a fact that Dr. Shital Prasad Sinha maintains a private unauthorised clinic and dispensary in the name of the son of the Lady who was involved in a number of criminal cases against him (Dr. Shital Prasad Sinha of Darbhanga Medical College)?

Shri DEOSARAN SINGH: Government have no information that Dr. S. P. Singh maintains a private unauthorised clinic and dispensary in the name of the son of the lady who was involved in the criminal cases.

Shri BINDESHWARI PRASAD MANDAL: Is it a fact that at Darbhanga there is a dispensary known as Rathindra Dispensary and it belongs to Dr. S. P. Singh?

Shri DEOSARAN SINGH: I have got no information about it.

Shri BINDESHWARI PRASAD MANDAL: Will Government be pleased to enquire into it?

Shri DEOSARAN SINGH: Yes, an enquiry will be made.

Shri BINDESHWARI PRASAD MANDAL: Is it a fact that Government in reply to a previous question had said that this doctor was warned and was under orders of transfer?

अध्यक्ष—यह तो माननीय सदस्य को मालूम ही है। इसको पूछने की जरूरत नहीं है।

श्री जगन्नाथ सिंह—मैं जानना चाहता हूँ कि जब जांच होगी तो माननीय सदस्य की सहायता इंक्वायरी अफसर लेंगे?

SPEAKER: It is not a question; it is a request for action

*In the absence of the Member, reply was given at the request of Shri Bindeshwari Prasad Mandal.

स्थगन प्रस्ताव :

Adjournment Motion.

अध्यक्ष—हमारे पास दो ऐडजोर्नमेंट मोशन्स आये हैं। एक श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह जी का है जो उन्होंने सवा ग्यारह बजे भेजा है; इसलिये यह आउट ऑफ टाइम है। दूसरा श्री बोकाय मंडल का है।

श्री बोकाय मंडल—मैं इसे उपस्थित करना नहीं चाहता।

पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी का प्रतिवेदन।

REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE.

Shri RAM CHARITRA SINGH : Sir, I lay on the table a copy of the Report of Public Accounts Committee on the Appropriation and Finance Accounts of the Government for the year 1948-49.

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि एक रोज इसके लिये निश्चित कर दिया जाय ताकि उस रोज इस कमिटी की रिपोर्ट पर बहस करने का लोगों को मौका मिले।

अध्यक्ष—तिथि निश्चित की जायगी। अभी प्रोविजनल २८ तारीख रखी गई है। इसलिए फिर इसकी सूचना दे दी जायगी।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

Legislative Business : Official Bills :

बिहार मैटर्निटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ (१९५३ की वि० सं० २५)।

THE BIHAR MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT) BILL, 1953 (BILL NO. 25 OF 1953).

श्री वीरचन्द पटेल—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार मैटर्निटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ पर विचार हो।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में कोई सिद्धान्त की बात नहीं है। सिर्फ कानून के दृष्टिकोण से डेफिनिशन में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई इसलिये इस अमेंडमेंट को पेश करने की जरूरत हुई। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रिजन्स में यह बात बिलकुल साफ तौर से बतला दी गई है कि क्यों यह परिवर्त्तन किया गया है। बिहार मैटर्निटी बेनिफिट ऐक्ट, १९४७ के मुताबिक जो सुविधाएँ मिलती हैं वह सिजनल फैक्टरी में काम करनेवाली महिला मजदूरों को इसलिये प्राप्त नहीं हैं कि सिजनल फैक्टरी की परिभाषा के अनुसार जो फैक्टरी १८० दिन से कम काम करे उसका मैटर्निटी बेनिफिट ऐक्ट के अन्दर समावेश नहीं होता है। फैक्टरी की परिभाषा फैक्टरी ऐक्ट में जो दी गई है और जो परिभाषा मैटर्निटी बेनिफिट ऐक्ट में दी गई है उसके मुताबिक सिजनल फैक्टरी को मैटर्निटी बेनिफिट ऐक्ट से बाहर रखा गया है यह साफ नहीं होता, इसलिये इस संशोधन की जरूरत हुई है। इसमें हमको इतना ही कहना है कि—

"Factory" means a factory as defined in clause (*m*) of section 2 of the Factories Act, 1948, and includes a place declared to be a factory under section 85 of that Act, but does not include a factory which is exclusively engaged in one or more of the following

manufacturing processes, namely, cotton ginning, cotton or jute pressing, the manufacture of lac or sugar (including gur), or any manufacturing process which is incidental to or connected with any of the aforesaid processes."

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

दि बिहार मैटर्निटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—अब मैं इस बिल का खंडशः विचार पेश करता हूँ।

श्री नन्दकिशोर नारायण—अध्यक्ष महोदय, अभी इस बिल में मैनुफैक्चर आफ लैक को हटाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको भी इस बिल में रखा जाय।

अध्यक्ष—अभी तो इस बिल को इस उद्देश्य लाया गया है कि १९३४ के ऐक्ट के अनुसार जो डेफिनिशन फैक्टरी का था उसके रिपील हो जाने के बाद से १९४८ के फैक्टरीज ऐक्ट के अनुसार डेफिनिशन माना जाता है और उसमें से लैक के फैक्टरी को हटा देने के लिये इस बिल को पेश किया गया है।

श्री नन्दकिशोर नारायण—लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फैक्टरी को इस डेफिनिशन में रखा जाय क्योंकि लाह निकालने का प्रोसेस करीब-करीब साल भर तक चलता रहता है और साल भर तक उसमें मजदूर लगे रहते हैं जिनमें औरतें ही ज्यादा काम करती हैं। इसलिये मैं चाहता हूँ कि मैटर्निटी बेनिफिट से विमुक्त करने के लिये इस बिल से लैक फैक्टरी को निकालने के लिये जो कोशिश की जा रही है वह नहीं हो और इसको यहां पर रखा जाय।

अध्यक्ष—लैक को बटोरने का काम तो सिजनल है।

श्री नन्दकिशोर नारायण—लैक को निकालने का काम तो सिजनल है मगर उसको झारने और दुरुस्त करने के लिये मजदूर करीब-करीब साल भर तक काम करते रहते हैं। उनको काम करने के लिये साल भर तक रखते हैं। और उनको रोजाना मजदूरी देते हैं। और उसी के अन्तर्गत काम होता है।

अध्यक्ष—कपास से बिनौला निकालने का काम भी तो साल भर तक जारी रहता है मगर कपास को इकट्ठा करने का काम तो सिजनल है।

श्री नन्दकिशोर नारायण—उसमें भी बिनौला निकालने का काम तो सालों भर तक जारी रहता है।

अध्यक्ष—लेकिन यह काम तो किसी फैक्टरी में होता होगा। बटोरने का काम तो बैसाख के ही महीने में होता है और एक-दो महीने में खतम हो जाता है।

श्री नन्दकिशोर नारायण—लेकिन लैक के काम में तो औरतें साल भर तक लगी रहती हैं और इसलिये मैं चाहता हूँ कि उसमें काम करनेवाली औरतों को मैटर्निटी बेनिफिट से वंचित नहीं किया जाय।

श्री बीरचन्द पटेल—अध्यक्ष महोदय, अभी जो अमेंडिंग बिल पेश किया गया है वह एक मामूली अमेंडमेंट है और इसपर बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें नहीं मालूम कि हमारे दोस्त श्री नन्दकिशोर नारायण को कहां से यह पता चला है कि लैक के फैक्टरी में साल भर तक काम होता रहता है। लैक फैक्टरीज मजदूर संघ के नेता की तरफ से जो पत्र सरकार के पास आया है उसमें यह लिखा हुआ है—

"There are 29 lac factories in this town, of which certain factories work only for two to four weeks and certain factories work to a maximum period of four months.

Shri KRISHNA GOPAL DAS: Who is the writer of this letter ?

Shri BIRCHAND PATEL: I am not here to consider the conflicting statements of different Labour Unions; this letter is from the General Secretary, Mazdoor Sangh, Jhalda, to the Labour Minister.

इस लेटर से यह पता चलता है कि लैक फैक्टरीज में ज्यादा से ज्यादा चार महीने तक काम होता है।

श्री भोला नाथ भगत—वहां पर साल भर काम होता है।

श्री बीरचन्द पटेल—माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि लैक फैक्टरीज में साल भर काम होता है वह गलत बात है।

सवाल यह है कि जो सीजनल फैक्टरी की परिभाषा दी गई है उसको देखना है। फैक्टरी की परिभाषा यह है—

"Factory" means a factory as defined in clause (*m*) of section 2 of the Factories Act, 1948, and includes a place declared to be a factory under section 85 of that Act......

तो पहले फैक्टरी में काम करने की बात है, यानी फारेस्ट से लेकर अल्टीमेट प्रोसेस तक एक साथ होता है। सूगर फैक्टरी को भी इस तरह सिजनल फैक्टरी नहीं मानते हैं क्योंकि जिस दिन से ऊख रोपते हैं और जिस दिन तक उससे चीनी फैक्ट्री में नहीं बन जाती एक प्रोसेस है।

अध्यक्ष—नन्द किशोर बाबू भी चाहते हैं कि सिजनल नहीं माना जाय।

श्री वीरचन्द पटेल—चाहते होंगे।

श्रीमती रामदुलारी सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इन्फॉरमेशन के लिये बतलाना चाहती हूँ कि सूगर फैक्टरीज में फीमेल लेबर है ही नहीं।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। पहले सरकार की बात को सुन लें।

श्री बीरचन्द पटेल—माननीय सदस्या ने जो कहा बिलकुल ठीक है। सूगर फैक्ट्रीज में फीमेल वर्कर्स करीब-करीब निल के बराबर हैं।

मैं, जो माननीय सदस्य विरोध कर रहे हैं उनका ध्यान इस तरह आकृष्ट कर रहा हूँ कि पहली बात जो इस बिल में है उसको देखें। इस संशोधन से जो मतलब है वह यही है कि फैक्टरी के भीतर बिना किसी ब्रेक के १८० दिन से ज्यादा एक फैक्टरी के अन्दर किसी खास प्रोसेस में काम करने वाले मजदूर जहां रहें वह सीजनल फैक्टरी नहीं है। और इसी परिभाषा के अन्तर्गत लैक भी सीजनल फैक्टरी में आ जाता है। लैक के मजदूरों ने जो बेनिफिट का डिमांड गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट के सामने रखा था उनमें से कई को लेबर डिपार्टमेंट ने मान लिया। लेकिन जहां तक मेटर्निटी बेनिफिट का सवाल था उसमें दिक्कत यह हो गई कि दुनिया भर में जितने कन्वेन्शान्स लेबर के हैं उनमें यही है कि मैटर्निटी बेनिफिट से फायदा उठाने वाली महिला के लिए कम से कम ६ महीना पहले से, जब से कि यह बेनिफिट मिले लेबर का काम करना चाहिए। लेकिन जो फैक्टरी ही चार महीने चले उसमें मेटर्निटी बेनिफिट का सवाल ही नहीं उठता। लक के बारे में हो सकता है कि शुरू से आखिर तक आपके ख्याल में एक साल लगता हो लेकिन फैक्टरी में एक्सक्लूसिवली एक साल नहीं लगता है और मैक्सिमम पीरियड १८० दिन के भीतर ही होता है। इस बात की पूरी छानबीन करने के बाद सरकार ने लैक को भी सीजनल फैक्टरी की परिभाषा के भीतर लाया ह। यह कोई नई बात नहीं ह। सर्वदा यह रही है। आज जो माननीय सदस्य लैक शब्द को उठाने की बात कह रहे थे तो अगर यह प्रश्न उनके पास था तो फिर आजतक क्यों नहीं कहीं भी इसको उठाया गया कि लैक फैक्टरी सीजनल न रहे? यह एक सिद्धान्त की बात है। चूंकि वह लैक को इस परिभाषा के अन्दर लाना चाहते हैं जो सीजनल फैक्टरी की परिभाषा के बाहर है इसलिए सरकार उनके अमेंडमेंट के मुताबिक लैक शब्द को हटा नहीं देने के लिए मजबूर है। १९३४ और १९४८ के कानून में यह माना गया। लेकिन १९४८ के कानून के इंटरप्रेटेशन की दिक्कत की वजह से यह अमेंडमेंट लाया गया। अगर माननीय सदस्य का यह ख्याल है कि यह नई बात है तो यह उनकी गलतफहमी है। आज भी लैक फैक्टरी को सीजनल फैक्टरी कहा जाता है लेकिन चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने १९४८ में फैक्टरी की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया और हमारे बिहार मैटर्निटी बेनिफिट की परिभाषा में यह कहा गया कि फैक्टरी की परिभाषा वही है जो मैटर्निटी बेनिफिट ऐक्ट में है और इसमें फैक्टरी का डेफिनिशन वही था जो परिभाषा १९३४ के फैक्टरी ऐक्ट में है। इस तरह १९३४ की परिभाषा रह गई। चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने १९४८ के ऐक्ट में उस परिभाषा में संशोधन किया इसलिये इसकी जरूरत पड़ी कि १९४८ के ऐक्ट में जो फैक्टरी की परिभाषा है उसीके अनुसार मैटर्निटी बेनिफिट की परिभाषा रहे। तो यह कोई नई बात नहीं है। अगर किसी माननीय सदस्य का ख्याल है कि लैक फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों को यह बेनिफिट मिलती थी तो मैं यह कह देना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है।

श्री भोलानाथ भगत—अध्यक्ष महोदय......

अध्यक्ष—पहले फैक्टरी किसे कहते हैं यह बतलाइये। उसके बाद सीजनल फैक्टरी किसको कहते हैं बतलाइएगा। Where is the definition of Factory?

श्री भोलानाथ भगत—इम्तहान ले रहे हैं क्या, अध्यक्ष महोदय?

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। इतने आदमी आपके सामने हैं। क्या यह इम्तहान नहीं है? पब्लिक प्लेटफार्म यह नहीं है।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—ऐसा किसी मेम्बर से पूछा जाता है?— To put him in an awkward position !

SPEAKER : Yes, Sir. Such a question can be put to him. I want to know how far he has studied this law.

Shri **SRISH CHANDRA BANERJEE :** I may not be in the know of law; but for a member to be asked what is the question before the House is certainly.........

SPEAKER : No, no. I said "where is the definition of factory ?"

Shri **SRISH CHANDRA BANERJEE :** You said : "What is the definition of factory ?"

SPEAKER : "Where" or "What" does not make any material difference. First he has to find out what is the definition of "factory" then he has to say what a seasonal factory is.

Shri **BHOLANATH BHAGAT :** Sir, there are hundreds of factories in our area.

SPEAKER : Order, order. I want to know the definition of "factory" as defined in law. The member cannot argue with the Speaker.

Shri **BHOLANATH BHAGAT :** I am not arguing, Sir.

SPEAKER : I may point out for the information of the hon'ble member that the word "factory" has been defined in section 2 of the Indian Factories Act.

श्री भोलानाथ भगत—माननीय उप-मंत्री ने कहा कि लैक फैक्टरी सीजनल फैक्टरी है क्योंकि सालों भर उसमें काम नहीं होता। इसके संबंध में मैं दो-चार बातें आपके सामने रखता हूँ। दरअसल बात यह है कि लैक सीजनल क्रॉप है, लेकिन इसका तीन-चार क्रॉप होता है। इस तरह फैक्टरी में भी काम सालों भर चलता है।

बहुत-सी ऐसी फैक्ट्रीज झालदा, बलरामपुर, खूंटी वगैरह में हैं जिनमें सालों भर काम होता है। अभी उप-मंत्री महोदय ने बताया है कि कल्टीवेशन के बाद से फिनिस्ड गूड्स बनने में एक साल लगता होगा। यह बात सही नहीं है।

अध्यक्ष—आपका कोई संशोधन नहीं है। आपके कहने का मतलब क्या है?

श्री भोलानाथ भगत—मेरे कहने का मतलब यह है कि लाह की फैक्टरी को सीजनल फैक्टरी की लिस्ट से हटा देना चाहिए। इसका नतीजा यह होगा कि उस फैक्टरी में ज्यादे से ज्यादे काम करने वाली जो औरतें हैं उन्हें मैटर्निटी की सुविधा मिलेगी। लाह फैक्टरी में काम कैसे होता है उसका कुछ आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ। वैशाख के महीने में जब लाह को फैक्टरी में भेजा जाता है तो उस लाह को चाहे

मशीन से, चाहे सिल लोढ़ा से तोड़ा जाता है। यह काम ज्यादातर औरतें ही करती हैं। तोड़ने के बाद उसे पानी में तीन-चार मरतबा भिगोया जाता है। यह काम भी या तो मशीनों से या औरतों से कराया जाता है। उसके बाद सीड लैक को साफ जगह पर पसारा जाता है। जहां पर न ज्यादे गरम और न ज्यादे ठंढक हो वहां इसे हवा खिलाया जाता है। यह काम भी औरतें ही करती हैं। उसके बाद सीड लैक को छान कर सेलैक बनाया जाता है। यह काम मर्द करता है। बैशाख के बाद जेठ महीना में जो बचा-खुचा लाह रहता है उस पर काम होता है। उसके बाद आश्विन में बहुत अच्छी फसल होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कल्टिवेशन के बाद सारा काम फैक्टरी में होता है और साल भर काम चलता रहता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस फैक्टरी को सीजनल नहीं समझना चाहिए। उस लिस्ट से उसे हटा देना चाहिए।

श्री राम खेलावन सिंह—ऑन ए प्वायन्ट ऑफ इनफॉरमेशन, सर, १९४७ का जो ऐक्ट है उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं कि नहीं।

अध्यक्ष—१९४७ का जो ऐक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि सीजनल फैक्टरी में यह ऐक्ट लागू नहीं होगा। यह बात क्लाज २ में है। सीजनल फैक्टरी की परिभाषा १९४७ के ऐक्ट में दी हुई है। १९३४ के ऐक्ट के रिपील होने के बाद वह परिभाषा नहीं रह गई। इसलिए इस बिल की जरूरत हो गई। आपको इस चीज को समझना चाहिए।

श्री राम खेलावन सिंह—१९३४ का जो ऐक्ट है, उसमें सीजनल फैक्टरी सम्मिलित थी और लाह की फैक्टरी भी।

अध्यक्ष—१९३४ के ऐक्ट में सीजनल फैक्टरी का डेफिनिशन था। १९३४ का ऐक्ट नहीं रहा तो उसकी जगह पर दूसरा तो होना चाहिये।

अब आपको १९४७ के ऐक्ट को अमेंड करना पड़ेगा या नहीं?

श्री राम खेलावन सिंह—जी हां।

अध्यक्ष—१९३४ के ऐक्ट को जब हटा दिया गया तो उसकी जगह पर दूसरा रखना होगा।

श्री केदार पांडे—अध्यक्ष महोदय, यह जो दि बिहार मैटर्निटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ है उसमें बहुत सीधी बात है, यह बिल औरतों के लिये लागू होता है और वे औरतें जो कम से कम ६ महीने जिस फैक्टरी में काम करें उस फैक्टरी को इस ऐक्ट से एक्सक्लूड कर दिया जाय यही इस बिल का मकसद है।

अध्यक्ष—वह पहले से एक्सक्लूडेड है।

श्री केदार पांडे—१६३४ का जो ऐक्ट था उसमें सीजनल फैक्ट्रीज की परिभाषा दी हुई थी लेकिन १६४८ के ऐक्ट में १६३४ का जो रेफरेन्स बराबर हुआ करता था उसको बन्द कर दिया गया। १६४८ के ऐक्ट में सीजनल फैक्ट्रीज की परिभाषा नहीं दी हुई है, इसलिये इसकी परिभाषा को डिफाइन करना है और इस बिल में किसी तरह की तरमीम करने की जरूरत नहीं है, यह बिलकुल सीधा है और १६३४ का ऐक्ट जो रिपील हुआ है उसकी जगह पर यह १६४८ का ऐक्ट आया है।

श्री बीरचन्द पटेल—इसमें बातें इतनी साफ हैं कि इसके बारे में किसी प्रकार का विरोध नहीं किया जा सकता है। मान लीजिये कि कोई लाह की फैक्टरी है जिसमें सालों भर काम होता है, माननीय सदस्य ध्यान से इस अमेंडमेंट को पढ़े होते तो उन्होंने जो उज्र पेश किया उसकी गुन्जाइश नहीं रहती क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि—

"But does not include a factory which is exclusively engaged in one or more of the following manufacturing processes, namely, cotton ginning, cotton or jute pressing, the manufacture of lac."

इसमें दो तरह के बन्धन हैं, एक तो एक्सक्लूसिभ होना चाहिये और दूसरा है कि मैनुफैक्चरिंग प्रोसेसेज होना चाहिये। अगर इसके अलावे कोई ऐसी फैक्टरी है जैसे लेक फैक्टरी है, उसमें मैनुफैक्चरिंग के अलावे दूसरे-दूसरे काम होते हैं तब तो वह सिजनल फैक्टरी की परिभाषा में नहीं आती है। परिभाषा हमें साफ-साफ बनानी पड़ेगी और इसमें शब्द भी साफ-साफ रखना पड़ेगा क्योंकि कानून के इन्टरप्रेटेशन का सवाल होता है। सीजनल फैक्टरी उसी को हम कहते हैं—

"But does not include a factory which is exclusively engaged in one or more of the following manufacturing processes, namely, cotton ginning, cotton or jute pressing, the manufacture of lac........"

इसमें कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। तो, जहां तक लाह का सवाल है वह सीजनल है। हमारे मानभूम के मित्र ने यह प्रश्न उठाया था कि लाह फैक्ट्रीज में काम करने वाली महिलाओं को मैटर्निटी बेनिफिट मिलना चाहिये, यह नया प्रश्न नहीं है यह पहले भी उठा था और सरकार के सामने यह दिक्कत पैदा हो गई कि सीजनल फैक्टरी की परिभाषा को बदलना पड़ेगा। माननीय सदस्य को मजदूरों के प्रति सहानुभूति है, सरकार भी उसीके साथ है लेकिन जहां तक कानून बनाने का सवाल है उसमें परिभाषा को साफ-साफ रखना पड़ता है। सरकार चाहती है कि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले लेकिन सुगर फैक्टरी और लाह फैक्टरी में १८० दिन से कम काम होता है और मजबूरन उसको सीजनल फैक्टरी करार देना पड़ा है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड ४ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड १ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

नाम इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

श्री बीरचन्द पटेल—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

बिहार मैटर्निटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ स्वीकृत हो।

श्री नन्दकिशोर नारायण—अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कुछ ऐसी बातें कही गयीं हैं जिनसे कुछ मिसअन्डरस्टैंडिंग हो गया है। यहां यह कहा गया है कि फैक्टरी में यह नहीं आता है।

अध्यक्ष—किसने कहा है कि यह नहीं आता है?

श्री नन्दकिशोर नारायण—अभी हमारे दोस्त श्री पटेल ने कहा है कि यह नहीं आता है। उनका कहना यह है कि सीजनल फैक्टरी को यह इनक्लूड नहीं करता है।

Shri BIRCHAND PATEL: It has never been stated that it is not in the Factory Act.

सीजनल फैक्टरी होने के पहले उसको फैक्टरी होना पड़ेगा।

अध्यक्ष—जिसको आप सीजनल फैक्टरी समझते आये हैं वह सीजनल फैक्टरी अभी तक एक्सक्लूडेड है और इस ऐक्ट से हमलोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐक्ट बदल सकते हैं।

श्री नन्दकिशोर नारायण—मेरा कहना यह है कि फैक्टरी ऐक्ट का जो डेफिनिशन दिया हुआ है—

"Factory" means any premises including the precincts thereof where 10 or more workers are working any day in course of 12 months and where manufacturing process is being carried on, etc....

अध्यक्ष—इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है? आपके सामने है कि—

Factory means a factory as defined in clause (*m*) of section 2 of the Factories Act, 1948 and includes a place declared to be a factory under section 85 of that Act.

श्री नन्दकिशोर नारायण—मेरे कहने का मतलब है कि कोई फैक्टरी अगर लेबर इंगेज करती है जो मैनुफैक्चरिंग प्रॉसेस में एक महीना काम करता है और उसके बाद उसको सफाई करने में इंगेज्ड रहना पड़े और यह फैक्टरी के प्रेमिसेज में होता रहा तो उसको सीजनल नहीं समझना चाहिए।

अध्यक्ष—आप दिखाना चाहते हैं कि जो आपका कहना है वह सही है।

श्री नन्दकिशोर नारायण—अगर फैक्टरी में ४ महीना काम हुआ लेकिन लेबरर सफाई के काम में या दूसरे काम में लगे रहे तो ऐसी हालत में उनको परमानेंट लेबर समझना चाहिए।

अध्यक्ष— सके लिए आप अमेंडमेंट दे देते तो अच्छा होता।

श्री नन्दकिशोर नारायण—मैं चाहता हूं कि लैक वर्ड को ओमिट कर दिया जाय।

श्री रामचरित्र सिंह—यह बिल का थर्ड रीडिंग है। आप समूचे बिल को अपोज कर सकते हैं इसमें अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं।

श्री नन्दकिशोर नारायण—थर्ड रीडिंग में यह कहना गलत चीज नहीं है।

Shri KRISHNA GOPAL DAS: What is the definition of a "Factory" in the Act?

SPEAKER: That has already been amply explained before the House.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

बिहार मैटर्निटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ स्वीकृत हो।

बिहार मटर्निटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, १९५३ स्वीकृत हुआ।